FMCG उद्योग में भ्रामक पद्धति

[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

फास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (Fast Moving Consumer Goods- FMCG) को ऐसे पैकेज-बंद वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनकी नियमित रूप से और छोटे अंतरालों पर उपभोग या बिक्री होती है।

- FMCG कंपनियाँ बिक्री बढ़ाने और मुनाफा बनाए रखने के लिये अक्सर उपभोक्ताओं की कीमत पर विभिन्न भ्रामक रणनीतियाँ अपनाती हैं।**इनमें शामिल हैं:**
- **शृंकफ्लेशन (Shrinkflation):** यह किसी **उत्पाद की कीमत कम किये बिना उसके आकार या मात्रा** को कम करने की पद्धति है जो अक्सर मुद्रास्फीति के दौरान होती है।
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Skimpflation):** यह कीमत को स्थिर रखते हुए **कम गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करने या सेवाओं** को कम करने की प्रथा है।
- **भ्रामक पैकेजिंग:** इसमें कंटेनरों में **कम सामान भरकर** कीमतें समान रखने की प्रथा है।
- **भ्रामक मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ:** छूट देने से पूर्व कृत्रिम रूप से **कीमतें बढ़ा देना** और लोकप्रिय उत्पादों के कम संशोधित संस्करणों को प्रीमियम आइटम के रूप में बेचना।
- हालाँकि, ये तरीके अवैध नहीं हैं, लेकिन वे **उपभोक्ताओं को निराश करती** हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#) और अन्य नियमों, जो कच्चे माल तथा वज़न की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य करते हैं, का सख्ती से पालन किया जाए।

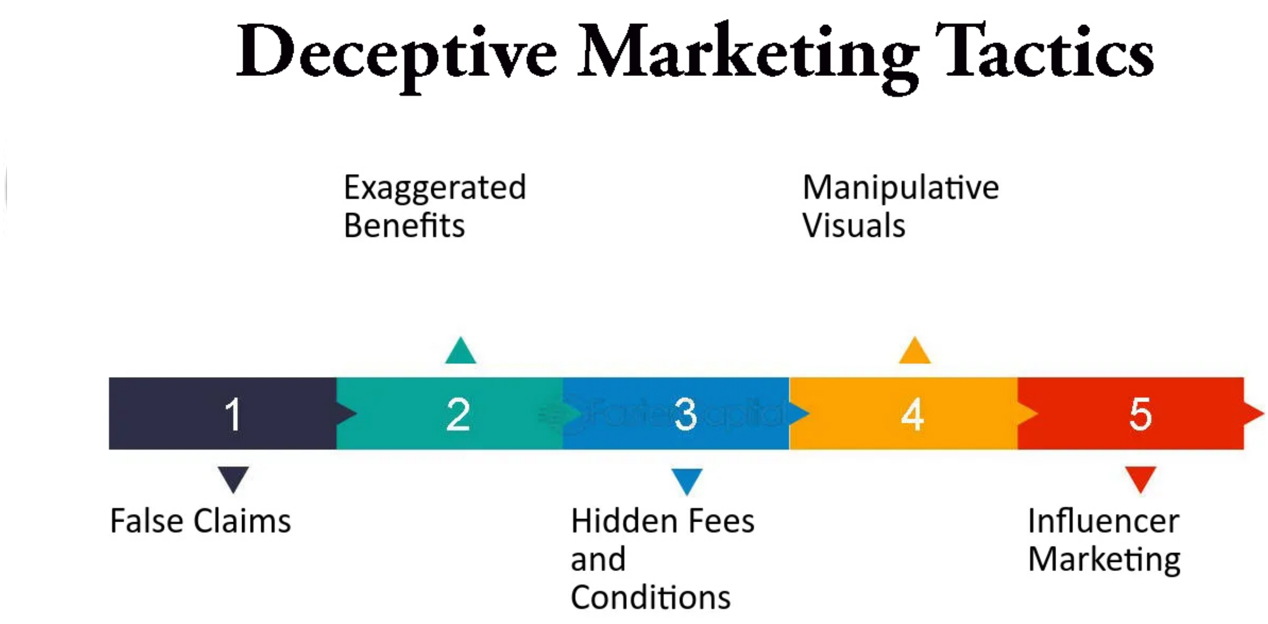

[//](#)

और पढ़ें: [शृंकफ्लेशन](#), [भ्रामक खाद्य विज्ञापनों को कम करना](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/deceptive-practices-in-the-fmcg-industry